कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या : 4073 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–20(स्था0) दिनांक : 08.06.2018

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तकनीकी सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित नलकूप मिस्त्री को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा स्वंय के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम / जन्मतिथि / जनपद	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री अनिल कुमार / 19.06.1965 / हरिद्वार	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	नलकूप खण्ड, रूड़की	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 03 (च) में निहित प्राविधानानुसार

नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(7)

8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्याः 4073 /प्र0अ0/सिं0वि/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर—।।) यांत्रिक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, रूड़की।
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रूड़की।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com पर अपलोड हेतु।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0—02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/18 8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या : 4072 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–20(स्था0) दिनांक : 08.06.2018

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तकनीकी सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित नलकूप मिस्त्री को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा स्वंय के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम / जन्मतिथि / जनपद /	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री पवन कुमार / 25.12.1962 / उ0सि0नगर	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	नलकूप खण्ड, बाजपुर	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 13 (6) में निहित प्राविधानानुसार

नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(4)

8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्याः 4077/प्र0अ0/सिं0वि/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर—।।), यांत्रिक सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बाजपूर।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com पर अपलोड हेतु।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0—02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/18 8/6/18

(5)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या : 4071 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–20(स्था0) दिनांक : 08.06.2018

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तकनीकी सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित नलकूप मिस्त्री को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा स्वंय के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम /जन्मतिथि/ जनपद/	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री धूम सिंह नेगी /02.02.1960 /रूद्रप्रयाग	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	नलकूप खण्ड, देहरादून	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 13 (6) में निहित प्राविधानानुसार

नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0केशर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्याः 4071 /प्र0अ0/सिं0वि/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com पर अपलोड हेतु।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का0—02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/18 8/6/18